न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

<u>पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)</u>

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
326 / 2015 बी.टी.नं.121 / 2017	2017 / 1198	30.09.2015	07.09.2022(अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. सन्तोष पत्नी महेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन उम्र– 50 साल, निवासी तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

वादीया

बनाम

1. रतना पुत्र भूरा उम्र 65 साल
2. रामनाथ पुत्र सेवाराम उम्र 70 साल
3. गुलाबी देवी पत्नी स्व0 प्रभात उम्र 65 साल
4. तेजपाल पुत्र प्रभात उम्र 30 साल
5. गोदाराम पुत्र सेवाराम उम्र 60 साल
6. रिछपाल पुत्र सेवाराम उम्र 50 साल
7. ननछी बैवा रामनाथ उम्र 60 साल
8. कजोड़ पुत्र रामनाथ उम्र 47 साल
9. औंकार पुत्र रामनाथ उम्र 45 साल
10. मदन पुत्र रामनाथ उम्र 38 साल
11. ज्याना बैवा भोलाराम उम्र 60 साल
12. सीताराम पुत्र भोलाराम उम्र 45 साल
13. झाबर पुत्र भोलाराम उम्र 40 साल
14. अशोक पुत्र भोलाराम उम्र 35 साल
15. रमेश पुत्र भोलाराम उम्र 32 साल
16. अर्जून पुत्र बिड़दू उम्र 55 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:27:56 IST
Reason: SelfAttested

07/09/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

17. जगदीश पुत्र बिड़दू उम्र 45 साल
18. श्योराम पुत्र बिड़दू उम्र 40 साल
19. दड़कली बेवा बिड़दू उम्र 60 साल
20. छोटू पुत्र गणेश उम्र 75 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

21. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
22. मैनेजर, पी0एन0बी0 बैंक शाखा अजीतगढ़।
23. मैनेजर, एस0एस0बी0वी0 बैंक शाखा श्रीमाधोपुर।
24. मैनेजर, एस0के0एस0बी0 बैंक शाखा अजीतगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री आशीष कुमार शर्मा, वादीया अभिभाषक।
श्री झाबर मल बिजारणियॉ, प्रतिवादी नं. 1 अभिभाषक
श्री जालीम सिंह, प्रतिवादी नं. 5 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 21

वादपत्र बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीया की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 1541, 1543, 1544, 1545, 1566 कुल किता 5 कुल रकबा 3.45 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम गढ़टकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके वादिया 5/18 हिस्से की रिकार्डेड [illegible] काश्तकार है तथा अपनी भूमि पर पूर्णतः काबिज काश्त चली आ रही है तथा बाकी [illegible] की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 20 के नाम व मृत्तक खातेदार मु0 [illegible] बैवा सेवाराम के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:27:56 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

के बाहमी बंटवारा व कब्जे काश्त हक हिस्से अनुसार वादिया के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.56 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1544 रकबा 0.47 हैक्टर में से रकबा 0.28 हैक्टर पश्चिमी भाग का तथा खसरा नम्बर 1545 रकबा 0.38 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर का अलग से मिन/बट्टा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रैस में खातेदारी दर्ज कराए जाने हेतु प्राथमिक डिक्री प्रदान कराई जाकर उसी अनुसार विवादित आराजीयात का फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय एवं डिक्री प्रदान कराये जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

इस पर वादीया के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री झाबर मल बिजारणियों एड0 व प्रतिवादी नं. 5 की ओर से श्री जालीम सिंह एड0 उपस्थित आये। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील होकर लौटे है। बावजूद तामील हाजिर अदालत कोई उपस्थित नहीं आये है। प्रकरण में वकील वादिया के प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर वकील प्रतिवादी सं. 5 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किये जाने पर प्रकरण में पूर्व में दिनांक 07.05.2018 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गयें थे। इसी दौरान वकील वादिया के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार होने पर प्रकरण में वकील वादिया द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादिया ने उपस्थित होकर वादपत्र के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया। प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 30.03.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:27:56 IST
Reason: SelfAttested

07/09/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 12/रीडर/2022 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1177/भू.अ./2022 दिनांक 02.05.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीया अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीया अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीया अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीया व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीया काश्तकारी अधिनियम– 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीया ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 को [illegible] से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार [illegible] राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के प्रारम्भिक [illegible] की पालना में प्राप्त विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:27:56 IST
Reason: SelfAttested

07/05/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 02.05.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये।

जमाबन्दी के अनुसार खाता की स्थिति:–

क्र. स.	खा. स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	348	1.अर्जुन पुत्र बिड़दू हिस्सा 1/56 जाति जाट 2.अशोक पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/60 जाति जाट राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ़ 3.ओंकार पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/48 जाति जाट राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ 4.कजोड़ पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/48 जाति जाट राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ 5.गुलाबी देवी पत्नि प्रभात हिस्सा 1/60 जाति जाट राहिन BRKGB शाखा दिवराला 6.गोदाराम पुत्र सेवाराम हिस्सा 1/30 राहिन सेन्ट्रल कॉ आपरेटिव बैंक अजितगढ 7.छोटू पुत्र गणेश हि0 1/9 राहिन सेन्ट्रल आपरेटिव बैंक अजीतगढ 8.छोटी पत्नि सेवाराम हि0 1/30 जाति जाट 9.जगदीश पुत्र बिड़दू हि0 1/36 जाति जाट	1541 1543 1544 1545 1566 कुल [illegible]	0.38 0.56 0.47 0.38 1.66 कुल रकबा 3.45	बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1	2.33 3.43 2.88 2.33 10.18 कुल लगान 21.15

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:27:56 IST
Reason: SelfAttested

02/08/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

		10.ज्याना पत्नि भोलाराम हि0 1/60 जाति जाट राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ़ 11.झाबर पुत्र भोलाराम हि0 1/60 जाति जाट राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ़ 12.तेजपाल पुत्र प्रभात हि0 1/60 जाति जाट BRKGB शाखा दिवराला 13.दड़कली पत्नि बिडदू हि0 1/36 जाति जाट 14.ननछी पत्नि रामनाथ हि0 1/48 राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ़ 15.मदन पुत्र रामनाथ हि0 1/48 जाति जाट राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ़ 16.रतना पुत्र भूरा हि0 1/6 राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ़ 17.रमेश पुत्र भोलाराम हि0 1/60 राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ़ 18.रामनाथ पुत्र सेवाराम 1/30 जाति जाट 19.रिछपाल पुत्र सेवाराम हि0 1/30 जाति जाट 20.श्योराम पुत्र बिड़दू हि0 1/36 जाति जाट 21.संतोष पत्नि महेश कुमार हि0 5/18 महाजन अजीतगढ 22.सीताराम पुत्र भोलाराम हि0 1/60 राहिन पी.एन.बी. अजीतगढ				

मौके के अनुसार बटवारा :– 1

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.स.	रकबा	किस्म	लगान
1.	348	संतोष पत्नि महेश कुमार जाति महाजन सा. अजीतगढ	1543 1544/1 1545/1 कुल	0.56 0.28 0.11 कुल रकबा 0.95	बारानी1 बारानी1 बारानी1	3.43 1.72 0.67 5.82 कुल लगान 5.82

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:27:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

07/09/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मौके के अनुसार बटवारा :– 2

क्र. स.	खाता स.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	ल्गान
1.	348	1.अर्जुन पुत्र बिड़दू हि0 1/25 2. अशोक पुत्र भोलाराम हि0 3/125 राहिन पी.एन.बी. शाखा अजीतगढ 3. ओंकार पुत्र रामनाथ हि0 7/250 राहिन पी.एन.बी.शाखा अजीतगढ 4. कजोड़ पुत्र रामनाथ हि0 7/250 राहिन पी.एन.बी. शाखा अजीतगढ 5. गुलाब देवी पत्नि प्रभात हि0 3/125 राहिन BRKGB शाखा दिवराला 6.गोदाराम पुत्र सेवाराम हि0 11/250 राहिन सेन्ट्रल कॉ आपरेटिव बैंक अजीतगढ 7.जगदीश पुत्र बिड़दू हि0 1/25 8.ज्याना पत्नि भोलाराम हि0 3/125 राहिन पी.एन.बी. शाखा अजीतगढ 9.झाबर पुत्र भोलाराम हि0 3/125 राहिन पी.एन.बी. शाखा अजीतगढ 10.तेजपाल पुत्र प्रभात हि0 3/125 राहिन BRKGB शाखा दिवराला 11.दड़कली पत्नि बिड़दू हि0 1/25 12.ननछी पत्नि रामनाथ हि0 7/250 राहिन पी.एन.बी. शाखा अजीतगढ 13.मदन पुत्र रामनाथ हि0 7/250 राहिन पी.एन.बी. शाखा अजीतगढ 14.रतना पुत्र भूरा हि0 29/125 राहिन पी.एन.बी. शाखा अजीतगढ 15.रमेश पुत्र भोलाराम हि0 3/125 राहिन पी.एन.बी. शाखा अजीतगढ 16. रिछपाल पुत्र सेवाराम हि0 11/250 17.श्योराम पुत्र बिड़दू हि0 1/25 18.सीताराम पुत्र भोलाराम हि0 3/125 राहिन पी.एन.बी. शाखा अजीतगढ 19.सुरजी देवी पत्नि स्व0 छोटू रामेश्वर, हरि, श्रवण पुत्रगण छोटू	1541 1544/2 1545/2 1566 कुल योग 4	0.38 0.19 0.27 1.66 कुल रकबा 2.50	बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1	2.33 1.16 1.66 10.18 कुल लगान 15.43

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:27:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

		कमली, रमकी, कोयली पुत्रीयां छोटू हि0 19/125 राहिन सेन्ट्रल कॉ आपरेटिव बैंक अजितगढ 22.लाड़ा पत्नि स्व0 रामनाथ, मोहन, मदन, बाबूलाल पुत्रगण रामनाथ हि0 11/250 समस्त जाति जाट सा. देह खातेदार 23.गोदाराम, रिछपाल पुत्रगण सेवाराम, कोयली, दाखली, नानछी, झूमा, फूली, रूकमा पुत्रियॉ सेवाराम, गुलाबी पत्नि प्रभात, तेजपाल पुत्र प्रभात, विमला, सरजी, भागोती, संतरा पुत्रीयॉ प्रभात, लाडा देवी पत्नि स्व0 रामनाथ, मोहन, मदन, बाबूलाल पुत्रगण रामनाथ हि0 11/250 जाति जाट सा. देह खातेदार				

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तुर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2022/1177 दिनांक 02.05.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 07.0[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:27:56 IST
Reason: SelfAttested